परिशिष्ट 1

सदस्य महासंघों के लिए आदर्श सुरक्षा (सेफ़गार्डिंग) नीति

! इस दस्तावेज़ को बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा से संबंधित स्थानीय संगठनों तथा अन्य संगठनों की सलाह और मार्गदर्शन से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखती है और उस पर लागू होती है। यह एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार करने का सर्वोत्तम तरीका है जिसे सदस्य महासंघ द्वारा अपनाया जाए और जिसे उसके सदस्य तथा व्यापक समुदाय समझ सकें। सदस्य महासंघ को यह निर्णय लेना होगा कि वह अपने सदस्यों से अपनी स्वयं की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तैयार करने की अपेक्षा करेगा या उन्हें ऐसा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करेगा। इस दस्तावेज़ में सदस्य महासंघ का नाम वर्गाकार कोष्ठकों [] के बीच लिखा जाना चाहिए।

विषय-सूची

1 प्रस्तावना
2 नीति प्रतिबद्धता वक्तव्य और सिद्धांत
3 परिभाषाएँ
4 नीति का दायरा
5 चिंताओं की सूचना देना
6 सूचना देने का प्रवाह-चित्र
7 आचार संहिताएँ
8 भर्ती
9 प्रशिक्षण और शिक्षा
10 अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ
11 समीक्षा
12 निगरानी

1 प्रस्तावना

[सदस्य महासंघ] (देश) में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने तथा इसे एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें बच्चे और वयस्क अपनी प्रतिभा विकसित कर सकें और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ये अनुभव आनंददायक और सुखद होने चाहिए। यह सुरक्षा नीति ("यह नीति") [सदस्य महासंघ] और [क्लबों] की ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे और वयस्क सुरक्षित रूप से एथलेटिक्स में भाग ले सकें।

इस नीति का पालन करने और इसमें निहित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के सिद्धांतों को बढ़ावा देने से सदस्य महासंघ ऐसे सुरक्षित, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान और निर्मित कर सकेगा जिनमें उसके समुदाय एथलेटिक्स का आनंद ले सकें और उसमें भाग ले सकें।

दुर्व्यवहार पुरुषों, महिलाओं या बच्चों द्वारा किया जा सकता है। यह दुनिया के हर हिस्से में, हर खेल और हर संगठन में होता है। कोई भी क्षेत्र स्वयं को इसके प्रभावों से मुक्त या सुरक्षित नहीं मान सकता। दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण तब होते हैं जब व्यक्तियों के बीच शक्ति का असंतुलन होता है। जब कोई व्यक्ति अधिक शक्तिशाली स्थिति में होता है, तो वह उस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकता है, और तब दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण हो सकता है। कोई व्यक्ति जितना अधिक असुरक्षित होता है—चाहे आयु, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति या परिस्थितियों के कारण—उसके दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण का शिकार होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।

2 नीति प्रतिबद्धता वक्तव्य और सिद्धांत

[सदस्य महासंघ] का मानना है कि एथलेटिक्स से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण का शिकार हुए बिना भाग लेने का अधिकार है। [सदस्य महासंघ] इस नीति के दायरे में आने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसे व्यवहार से सुरक्षित रखेगा। [सदस्य महासंघ] का मानना है कि यह अधिकार किसी व्यक्ति के मूल, रंग, आयु, दिव्यांगता, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, जातीय मूल, धर्म या विश्वास से निरपेक्ष है। [सदस्य महासंघ] इस नीति के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण को रोकने तथा ऐसे सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार खेल में भाग ले सके और उसका आनंद ले सके। यह नीति एथलीटों, प्रशिक्षकों (एथलीटों के सभी सहायक कर्मियों सहित), तकनीकी अधिकारियों, स्वयंसेवकों और बोर्ड सदस्यों की सुरक्षा करती है। इन सभी को इस क्षेत्र में अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने दायित्वों की भी जानकारी होनी चाहिए।

यह नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

- प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार है और उसके साथ लिंग, मूल, आयु, जातीयता, क्षमता, यौन अभिविन्यास, लैंगिक पहचान, विश्वास अथवा धार्मिक या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण से मुक्त, सुरक्षित और समावेशी वातावरण में एथलेटिक्स में भाग लेने, उसका आनंद लेने और उसके माध्यम से व्यक्तिगत विकास करने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को—चाहे वह बच्चा हो या वयस्क—सुने जाने का अधिकार है, विशेष रूप से तब जब वह अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की भलाई के बारे में चिंता व्यक्त करे। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किसी के व्यवहार के बारे में चिंता होने पर सहायता के लिए किससे संपर्क करना है।
- प्रत्येक व्यक्ति बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करने तथा उनके सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उनका कल्याण सर्वोपरि है।

इस उद्देश्य से, [सदस्य महासंघ]:

- ✓ यह स्वीकार करेगा कि उसके बोर्ड सदस्य इस नीति के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, और अपने कार्यक्रमों के सभी पहलुओं में इस नीति के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए एक "सुरक्षा दूत" नियुक्त करेगा;
- ✓ सुरक्षा प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए एक नामित कर्मचारी या स्वयंसेवक रखेगा, जिसे "सुरक्षा अधिकारी" कहा जाएगा;
- ✓ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को पता हो कि यह नामित कर्मचारी या स्वयंसेवक वह व्यक्ति है जिससे वे किसी अन्य व्यक्ति और उसके व्यवहार के बारे में चिंतित होने पर संपर्क कर सकते हैं;
- ✓ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अपने अधिकारों से और चिंताएँ व्यक्त किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत हों;
- ✓ आचार संहिताओं, नियमों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं सहित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित और लागू करेगा, तथा आवश्यकतानुसार उन्हें अद्यतन करेगा;
- ✓ चिंता व्यक्त करने, शिकायत करने या आरोप लगाने के बाद जिसे भी आवश्यकता हो, उसे सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा;
- ✓ सभी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को चिंताओं और शिकायतों से निपटने के तरीक़े के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करेगा;
- ✓ सभी चिंताओं, आरोपों और शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीक़े से निपटारा करेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतकर्ताओं को घटनाक्रम की नियमित जानकारी दी जाए;
- ✓ सभी जाँचें और सुनवाइयाँ इस प्रकार संचालित करेगा कि उचित स्तर की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, ताकि परिणामी रिपोर्ट या जोखिम आकलन में कोई पक्षपात न हो;
- ✓ चिंताओं, शिकायतों या आरोपों से संबंधित सभी जानकारी को गोपनीय (क़ानून द्वारा अनुमत सीमा तक) और सुरक्षित रूप से रखेगा;
- ✓ सही पदों पर सही लोगों को नियुक्त करेगा, चाहे वे कर्मचारी हों या स्वयंसेवक, पृष्ठभूमि जाँच करेगा और संदर्भों का सत्यापन करेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए;
- ✓ सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के साथ मिलकर काम करेगा, जो सामाजिक सेवाओं की ओर से सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

3 परिभाषाएँ

दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण

नीचे दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण का वर्णन किया गया है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए जा सकते हैं, और प्रायः तब होते हैं जब एक पक्ष ऐसे प्राधिकार की स्थिति में होता है जिससे वह दूसरे पक्ष की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। जब किसी संबंध में एक व्यक्ति का दूसरे पर प्राधिकार होता है, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें दुर्व्यवहार करना आसान हो जाता है। जोखिम में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की जानी चाहिए, और प्राधिकार की स्थिति में रहने वालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित सुरक्षा उपाय लागू हों। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षक, तकनीकी अधिकारी या स्वयंसेवक भी दूसरों द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार कोई भी अवांछित कृत्य है, जिसमें किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसे नीचा दिखाना, अस्वीकार करना, बंद रखना, अलग-थलग करना, मौखिक रूप से अपमानित करना, ज़लील करना, डराना-धमकाना या उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना शामिल है, अथवा कोई भी ऐसा अन्य व्यवहार जो किसी व्यक्ति की पहचान की भावना, गरिमा या आत्म-सम्मान को कम कर सकता है। ये कृत्य अधिकांश प्रकार के दुर्व्यवहार के मूल में होते हैं; जहाँ भी ये होते हैं, वहाँ मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी होता है। यह प्रायः आमने-सामने की धौंस (बुलिंग) या साइबर-बुलिंग का रूप ले सकता है।

शारीरिक दुर्व्यवहार कोई भी जानबूझकर किया गया या अवांछित कृत्य है, जैसे लात मारना, पीटना, काटना या जलाना, जिससे चोट या शारीरिक क्षति होती है। इसमें ज़बरदस्ती शराब पिलाना या व्यवस्थित डोपिंग प्रथाएँ शामिल हो सकती हैं। यह कोई भी ज़बरदस्ती कराई गई या अनुचित शारीरिक गतिविधि भी हो सकती है, जैसे एथलीट की आयु या शारीरिक बनावट के अनुपयुक्त प्रशिक्षण। खेल के वातावरण में ज़बरदस्ती या अत्यधिक प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं जा सकता, क्योंकि एथलीटों और प्रशिक्षकों दोनों की महत्वाकांक्षाएँ तथा साथियों का दबाव एथलीटों, प्रशिक्षकों या दोनों को अत्यधिक प्रशिक्षण भार और/या प्रतियोगिता प्रतिबद्धताएँ थोपने या सहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सहमत और प्राप्य प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से एथलीटों और प्रशिक्षकों के बीच संवाद स्वीकार्य और वहनीय प्रशिक्षण अपेक्षाएँ तय करने में सहायक हो सकता है। एथलीट के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रतिकूल हो सकने वाली महत्वाकांक्षाओं को संयमित करना प्रशिक्षकों का दायित्व है।

यौन दुर्व्यवहार यौन प्रकृति का कोई भी आचरण है, चाहे उसमें शारीरिक संपर्क (प्रवेशन सहित या रहित) शामिल हो या नहीं, जहाँ सहमति नहीं दी गई हो, सहमति नहीं दी जा सकती हो, या सहमति दबाव अथवा छल-प्रपंच से प्राप्त की गई हो। इसमें यौन चित्र देखना या बनाना, यौन गतिविधियाँ देखना, दूसरों को यौन रूप से अनुचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, या दुर्व्यवहार की तैयारी के रूप में किसी व्यक्ति को फुसलाना (ग्रूमिंग) शामिल हो सकता है।

ग्रूमिंग (फुसलाना) एक प्रक्रिया है (ऑनलाइन या आमने-सामने) जिसमें कोई व्यक्ति किसी एथलीट के साथ संबंध बनाता है और उसे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह अपने लाभ के लिए एथलीट का छल-प्रपंच से इस्तेमाल और शोषण कर सके। एथलीट के परिवार, सहायक कर्मियों और मित्रों की ग्रूमिंग से प्रायः ये लोग यह मानने लगते हैं कि ग्रूमिंग करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय और भरोसेमंद है, जिससे उसे एथलीट तक पहुँच प्राप्त हो जाती है। ग्रूमिंग करने वाला व्यक्ति एथलीट को बहला-फुसलाकर और दोनों के बीच के संबंध का दुरुपयोग करके उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसे उसकी माँगें माननी होंगी। ग्रूमिंग करने वाले का एथलीट पर जो प्राधिकार होता है, उसका उपयोग एथलीट को उन मित्रों और परिवारजनों से अलग करने के लिए किया जाता है जो उसे इन माँगों को मानने के विरुद्ध सचेत कर सकते हैं।

उत्पीड़न ऐसा अवांछित या अप्रिय व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आहत करता है या उसे अपमानित अथवा भयभीत महसूस कराता है। सत्ता-आधारित उत्पीड़न तब होता है जब प्राधिकार की स्थिति वाला कोई व्यक्ति, सामान्यतः कार्यस्थल पर, उस प्राधिकार का उपयोग शारीरिक या मानसिक रूप से अधीनस्थ स्थिति वाले किसी अन्य व्यक्ति को उत्पीड़ित करने के लिए करता है। सत्ता-आधारित उत्पीड़न में बहिष्कार और अनुचित कार्य-आवंटन (बहुत कम, बहुत अधिक या स्वीकार्य स्तर से निम्न), तथा दख़लअंदाज़ी भरा व्यवहार शामिल हो सकता है।

यौन उत्पीड़न यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित या अप्रिय आचरण है, चाहे वह मौखिक हो, गैर-मौखिक हो या शारीरिक। मौखिक यौन उत्पीड़न के उदाहरणों में शरीर, पहनावे या निजी जीवन के बारे में अवांछित या अपमानजनक अंतरंग प्रश्न, यौन संकेतों वाले चुटकुले, और बिना सहमति के यौन कृत्यों के प्रस्ताव या माँगें शामिल हैं। ये टेक्स्ट संदेशों, फ़ोन कॉल, लिखित संदेशों या यौन सामग्री वाले किसी भी अन्य प्रकार के अवांछित संचार के माध्यम से किए जा सकते हैं। गैर-मौखिक उदाहरणों में घूरना, इशारे करना या यौन संकेतों वाली तस्वीरें साझा करना शामिल हो सकता है। शारीरिक यौन उत्पीड़न के उदाहरणों में यौन प्रकृति का अनावश्यक शारीरिक संपर्क शामिल है, जैसे चिकोटी काटना, चूमने का प्रयास करना, थपथपाना या छूना।

शोषण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पूर्ण सूचित सहमति के बिना "व्यक्तिगत लाभ" के लिए उस व्यक्ति और/या उसकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है। व्यक्तिगत लाभ मनोवैज्ञानिक, प्रतिष्ठा-संबंधी या व्यावसायिक हो सकता है, और यह तब शोषण होता है जब किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार उसकी स्पष्ट और पूर्ण सूचित सहमति के बिना बेचे जाते हैं या उन पर मोलभाव किया जाता है। एथलेटिक्स में इसके उदाहरणों में किसी एथलीट की आयु या राष्ट्रीयता को धोखाधड़ी से ग़लत प्रस्तुत करना, किसी एथलीट की ओर से धोखाधड़ी से कार्य करना, या प्रायोजन आय अथवा वित्तपोषण व्यवस्थाओं से अनुचित हिस्सा लेना शामिल है। शोषण के कई अलग-अलग रूप होते हैं, जैसे यौन शोषण, आर्थिक शोषण, और एथलीटों के बच्चे रहते ही उनसे दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना।

उपेक्षा शारीरिक या भावनात्मक देखभाल का न्यूनतम स्तर प्रदान करने में विफलता है, जिससे क्षति होती है, क्षति होने दी जाती है, या क्षति का आसन्न जोखिम उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः माता-पिता या देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चों की देखभाल से संबंधित होती है, परंतु यह उन अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होती है जिनका किसी अन्य के प्रति देखभाल का दायित्व होता है, जैसे किसी एथलीट के प्रति प्रशिक्षक या टीम प्रमुख का दायित्व। इसमें उच्च तापमान में पर्याप्त पानी, कम तापमान में उपयुक्त कपड़े, पर्याप्त भोजन, आवास या सुरक्षित यात्रा व्यवस्था उपलब्ध न कराना शामिल हो सकता है।

दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण मूल, धर्म, रंग, विश्वास, जातीय मूल, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, आयु, दिव्यांगता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, खेल क्षमता या इन विशेषताओं के किसी भी संयोजन पर आधारित हो सकते हैं। यह एक अकेली, पृथक घटना हो सकती है या घटनाओं की एक शृंखला, आमने-सामने या ऑनलाइन, जानबूझकर, बिना माँगे या दबाव में। धौंस, अपमान और उपेक्षा उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या शोषण के अन्य पहलू हैं और इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत इनके साथ भी उसी प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए।

किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण में आर्थिक दुर्व्यवहार का तत्व शामिल हो सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसे अनुबंधों या समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो दूसरों को आर्थिक लाभ पहुँचाते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि उसके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक हों। दबाव का कोई भी तत्व दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण माना जा सकता है यदि वह व्यक्ति बच्चा है, यदि उसने किसी को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया है, या यदि लेखाकार या वकील जैसे किसी स्वतंत्र पेशेवर ने उसे समझौते की शर्तों के प्रभाव के बारे में पर्याप्त रूप से नहीं बताया है।

कभी-कभी कुछ कृत्य किसी एक व्यक्ति के लिए दुर्व्यवहार नहीं होते, फिर भी उनसे प्रभावित व्यक्ति की असुरक्षा के कारण वे दुर्व्यवहारपूर्ण या हानिकारक हो सकते हैं। इसका कारण व्यक्ति की आयु, उसकी क्षमताएँ या असुरक्षा का कोई अन्य रूप हो सकता है।

दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण प्रायः विश्वास की स्थिति वाले किसी व्यक्ति द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम होते हैं, अर्थात् प्रभाव, शक्ति या प्राधिकार की स्थिति वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शक्ति का दुरुपयोग। ऐसा प्रायः आयु में अंतर होने पर होता है, परंतु यह समकक्षों के बीच, अर्थात् लगभग समान आयु के व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। दुर्व्यवहार एथलीटों के बीच, या प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों अथवा एथलेटिक्स से जुड़े किन्हीं अन्य व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। इसे कभी-कभी समकक्षों के बीच दुर्व्यवहार कहा जाता है, और इससे भी किसी अन्य प्रकार की चिंता की तरह ही निपटा जाना चाहिए। दुर्व्यवहार परिवार के सदस्यों, जैसे माता-पिता, जीवनसाथी और भाई-बहनों द्वारा भी किया जा सकता है।

बच्चा : "बच्चा" या "बच्चे" शब्दों का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है।

सुरक्षा (सेफ़गार्डिंग) जोखिम में रहने वाले व्यक्तियों—चाहे वे बच्चे हों या वयस्क—को दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण से बचाने की प्रक्रिया है। एक ऐसा सुरक्षित और स्वागतपूर्ण वातावरण बनाना, जिसमें सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार हो, सुरक्षा का मूल है। एथलेटिक्स से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की यह सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने में भूमिका है कि दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण को रोका जाए, बच्चों और वयस्कों के अनुभवों को सुना जाए, और कोई समस्या होने पर सुरक्षित और पूर्ण प्रतिक्रिया दी जाए।

4 नीति का दायरा

यह नीति [सदस्य महासंघ] और उसके एथलीटों, तकनीकी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा [सदस्य महासंघ] से जुड़े किसी भी अन्य व्यक्ति पर लागू होती है। इसमें तकनीकी अधिकारी, स्वयंसेवक, एथलीट सहायता दलों के सदस्य, माता-पिता, देखभालकर्ता और [उस देश, जहाँ सदस्य महासंघ स्थित है] में एथलेटिक्स से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शामिल है। जिन सभी व्यक्तियों पर यह नीति लागू होती है, उन्हें इसका पालन करना अनिवार्य है। उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा इस नीति के किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

5 चिंताओं की सूचना देना

यह सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण का शिकार न हो। अतः यदि किसी को यह संदेह हो कि किसी बच्चे या वयस्क के साथ किसी भी रूप में दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण हो रहा है, या उसे किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार के बारे में चिंता हो, तो इन चिंताओं की सूचना [सदस्य महासंघ] के सुरक्षा अधिकारी को दी जानी चाहिए, ताकि मामले का आकलन किया जा सके और उससे उचित रूप से निपटा जा सके। पुलिस या सामाजिक सेवाओं को शामिल करना भी आवश्यक हो सकता है; [सदस्य महासंघ] का सुरक्षा अधिकारी ऐसा करेगा और आवश्यक कार्रवाई का समन्वय करेगा।

यदि किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति का तत्काल ख़तरा है, तो आपातकालीन सेवाओं को मामले की सूचना देने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। कुछ अवसरों पर, किसी मामले की सूचना देने से पहले संबंधित व्यक्ति की आयु और मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। सहमति देने की क्षमता 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के बीच, तथा बच्चे और वयस्क के बीच भिन्न होती है। यदि व्यक्ति सहमति देने से इनकार करता है, तब भी मामले की सूचना देने का दायित्व बना रह सकता है। [यह ऐसा विषय हो सकता है जो स्थानीय क़ानून या प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित हो, और इसे इस नीति में शामिल किया जाना चाहिए।]

[सदस्य महासंघ] को सूचित की गई चिंताओं, आरोपों और अन्य मामलों की जाँच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जिसका उस मामले से किसी भी प्रकार का संबंध न हो। यदि मामला "निम्न-स्तरीय चिंता" से संबंधित है, तो जाँचकर्ता का [सदस्य महासंघ] से पूर्णतः स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। चिंता या आरोप जितना गंभीर होगा, जाँच करने वाले व्यक्ति का [सदस्य महासंघ] से स्वतंत्र होना उतना ही अधिक आवश्यक होगा। यदि चिंताएँ पुलिस को सौंपी जाती हैं, तो पुलिस जाँच करेगी। गंभीर चिंताओं के संबंध में [सदस्य महासंघ] द्वारा की जाने वाली कोई भी जाँच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो [सदस्य महासंघ] से संबद्ध न हो और जिसे जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जाँच निष्पक्ष, सक्षम ढंग से और यथासंभव शीघ्र की जाए।

6 सूचना देने का प्रवाह-चित्र

[यह एक सामान्य प्रवाह-चित्र है जिसे स्थानीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किया जाना आवश्यक है ।]



7 आचार संहिताएँ

सदस्य महासंघ के पास अपने कर्मचारियों, कार्यकारी अधिकारियों और संगठन के प्रबंधन में शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए आचार संहिताएँ होनी चाहिए। उसे प्रशिक्षकों, एथलीटों, चिकित्सा सहायक कर्मियों, तकनीकी अधिकारियों और आयोजन समन्वयकों जैसे अन्य

समूहों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकतानुसार ये संहिताएँ विशिष्ट या सामान्य हो सकती हैं, बशर्ते कि संबंधित समूह इन संहिताओं से अवगत हों और उनसे इनके पालन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना अपेक्षित हो।

[सदस्य महासंघ] की निम्नलिखित आचार संहिताएँ हैं:

- प्रशिक्षकों के लिए संहिताएँ
- एथलीटों के लिए संहिताएँ
- [कोई भी अन्य संहिताएँ जिन्हें विकसित करने का निर्णय [सदस्य महासंघ] ने लिया है]

उपर्युक्त सभी आचार संहिताएँ दूसरों के साथ सम्मान, समानता, निष्पक्षता और गरिमा के साथ व्यवहार करने पर केंद्रित हैं, और इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है और सम्मान का पात्र है। इनका उद्देश्य एथलेटिक्स से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को उस व्यवहार की जानकारी देना है जिसकी [सदस्य महासंघ] उनसे अपेक्षा करता है। ये नियम इन समूहों के लिए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी को इन नियमों के अस्तित्व, [सदस्य महासंघ] की अपेक्षाओं और इनका पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना की जानकारी हो। ये संहिताएँ संबंधित समूहों से परामर्श के बाद विकसित की गई हैं और इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

आचार संहिताएँ संबंधित समूहों को उपलब्ध कराई जाएँगी और किसी भी सूचना-पट्ट या वेबसाइट पर, अथवा सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्रों जैसे किसी भी लिखित दस्तावेज़ में प्रदर्शित की जाएँगी।

यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञात हो कि कोई अन्य व्यक्ति संबंधित आचार संहिताओं का उल्लंघन कर रहा है, तो जाँच और संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इसे एक चिंता के रूप में सुरक्षा अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। यदि [सदस्य महासंघ] द्वारा कोई विशिष्ट सुरक्षा नियम लागू नहीं हैं, तो किसी भी आचार संहिता के उल्लंघन से अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निपटा जा सकता है।

8 भर्ती

बच्चों के साथ निकटता से काम करने वाली किसी भी भूमिका के लिए सभी आवेदकों—चाहे वे कर्मचारी के रूप में हों या स्वयंसेवक के रूप में—को पृष्ठभूमि जाँच या आपराधिक रिकॉर्ड जाँच से गुज़रना होगा। सभी आवेदकों को साक्षात्कार में भाग लेना होगा और दो संदर्भ-दाताओं के नाम देने होंगे, तथा नियुक्ति के बाद वे एक परिचय सत्र में भाग लेंगे। साक्षात्कार में व्यक्ति और उसके अनुभव के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी उसके ज्ञान के बारे में प्रश्न शामिल होंगे। संदर्भों का सत्यापन किया जाएगा; उनमें से एक वर्तमान या पूर्व नियोक्ता होना चाहिए, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के साथ या खेल के क्षेत्र में आवेदक के कार्य से परिचित हो। परिचय सत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित आवेदक अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों से परिचित हो और उसके पास सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं की जानकारी हो।

9 प्रशिक्षण और शिक्षा

[सदस्य महासंघ] के सभी कर्मचारी, स्वयंसेवक और तकनीकी अधिकारी संगठन में अपनी भूमिकाओं के अनुरूप सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बच्चों के साथ काम करने वालों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जो विशेष रूप से उनकी देखरेख में रहने वाले बच्चों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियों से संबंधित होगा।

सुरक्षा प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए [कम से कम वार्षिक रूप से या हर दो वर्ष में]।

10 अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ

इस नीति और [सदस्य महासंघ] के सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों से [सदस्य महासंघ] की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निपटा जाएगा, जिन्हें अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए देखा जाना चाहिए।

11 इस नीति की समीक्षा

इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

12 निगरानी

इस नीति और इसके कार्यान्वयन की निगरानी [सदस्य महासंघ] द्वारा या इस कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले किसी स्वतंत्र सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा, आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से की जाएगी।